

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

तांकल्प

लाक निर्माण संहिता के नियम 83 (यथासंशोधित) के अनुसार किसी कार्य की पुनरीक्षण प्रावक्कलित राशि यदि मूल प्रशासनिक स्वीकृति से 20% अधिक होती है तो पुनरीक्षण प्रशासनिक स्वीकृति को आवश्यकता होती है। पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति में मठ मात्रा में वृद्धि मदा का पुनर्स्थान इत्यादि सन्निहित रहता है। यह देखा जा रहा है कि सरकार के द्वारा पुनरीक्षण प्रशासनिक स्वीकृतिप्रदत्त हो जाने के उपरांत भी उक्त पुनरीक्षित प्रावक्कलन में नियमन अथवा मात्रा में वृद्धि के लिए कार्यपालक अभियंताओं के द्वारा अर्धाक्षण अभियंता से स्वीकृति की मांग की जाती

इन स्पष्ट किया जाता है कि सरकार के द्वारा पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दिय जाने के बाद पुनरीक्षण प्रशासनिक स्वीकृति के अन्तर्गत सन्निहित मदों में वृद्धि मदों का पुनर्स्थान दरमां वृद्धि एवं मात्रा में वृद्धि के लिए लोक निर्माण संस्थानों को कोडका-182ए, 292-XVII(x), 293XVII, 294IX (xvi) के आलोक में पुनरीक्षण का आवश्यकता नहीं होगा क्योंकि यह पूर्व से ही पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति में सन्निहित है।

इसी स्थिति में पुनरीक्षित प्रशासनेक स्वीकृति / तकनीकी स्वीकृति के अन्तर्गत बढ़ावदर का दावा भुगतान कार्यपालक अभियंता के स्तर से किया जायेगा। जिन अतिरिक्त मदों में दर का अनुमादन अवश्यक है, अधीक्षण अभियंता स्तर से दर का अनुमादन किया जाएगा।

उह व्यवस्था सिफ़ पुनराक्षत न्गासनिक स्वीकृति से आच्छादित मद-मात्रा में बढ़ाव के लिए हो प्रभाव हो।

आदेश - आदेश दिया जाता है कि इसे राजपत्र के असाधरण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा डिस्कों प्रांत सरकार के सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त तथा महालखाकार बिहार पटना को सूचनार्थ भेजी जायें।

~~बिहार राज्यपाल के आदेश से~~

~~सरकार के सचिव
प0 निर्विभाग~~

ज्ञापाक्रम 06 / दर्ता बिहार - नियम - 03-08, 2006 (अंश) १८५८८५ पटना, दिनांक ५-७-०९

नितिलाल - महालखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारबद्ध हतु प्राप्त-

~~सरकार के सचिव
प0 निर्विभाग~~

ज्ञापाक्रम 06 / दर्ता बिहार - नियम - 03-08, 2006 (अंश) १८५८८५ पटना, दिनांक ५-७-०९

नितिलाल - अधाक्त राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारबद्ध हतु प्राप्त।

अनुराध है कि इस बिहार के राजपत्र के असाधरण अंक में प्रकाशित कर बिहार राजपत्र का 100 प्रतियो विभाग का संचार कराने की कृपा की जाय।

~~सरकार के सचिव
प0 निर्विभाग~~

ज्ञापाक्रम 06 / दर्ता बिहार - नियम - 03-08, 2006 (अंश) १८५८८५ पटना, दिनांक ५-७-०९

नितिलाल - सचिव भागाध्यक्ष, सभी विभाग, बिहार, पटना / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिलाधिकार अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष संचार सभी, मुख्य अभियंता प0निर्विभाग / अभियंता पंमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष संचार के संबंध (प्राप्त), प0निर्विभाग / सभी अधीक्षण अभियंता, प0निर्विभाग / सभी कार्यपालक अभियंता प0निर्विभाग / प0निर्विभाग मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारियों का संचारात्मक एवं आवश्यक कार्रवाई हतु प्रेषित।

~~सरकार के सचिव
प0 निर्विभाग~~

३१७०४